



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

10 चैत्र, 1944 (श०)

संख्या - 142 राँची, गुरुवार,

31 मार्च, 2022 (ई०)

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ।

अधिसूचना

31 मार्च, 2022

संख्या:-01/नीति-05-03/2022- 649/ झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 (अधिनियम-II, 1915) की धारा 89 एवं 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों, सह-पठित धारा 16 एवं 20 का प्रयोग करते हुए झारखंड के राज्यपाल, देशी/मसालेदार/Flavoured देशी/भारत निर्मित विदेशी/आयातित विदेशी (मूल में बोटलबंद) शराब, (बीयर/वाईन/ब्रीजर/लिक्योर/शैम्पेन सहित) के भंडारण एवं थोक बिक्री हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या 01/नीति-05-05/2020-973 दिनांक 09.06.2021 द्वारा अधिसूचित "झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2021" को अधिक्रांत करते हुए इसे अविलंब लागू करने के उद्देश्य से झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा 89(3) के तहत प्रदत्त विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए पूर्व प्रकाशित शर्तों को शिथिल कर निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ-
- (i) यह नियमावली "झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2022" कही जायेगी।
- (ii) इस नियमावली का विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा।

(iii) यह नियमावली विभाग द्वारा अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से लागू होगी।

2. परिभाषाएं-

- (i) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, 'झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 (यथा संशोधित)';
- (ii) "राज्य" से अभिप्रेत है, 'झारखंड राज्य';
- (iii) "विभाग" से अभिप्रेत है, 'उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखंड';
- (iv) "अनुज्ञप्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है, आयुक्त उत्पाद;
- (v) "उपायुक्त" से अभिप्रेत है, जिला का उपायुक्त/समाहर्ता।
- (vi) "कॉरपोरेशन" से अभिप्रेत है, झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लि०;
- (vii) "वितरक" से अभिप्रेत है, वैसे व्यक्ति/कम्पनी/फर्म, जिन्हें उत्पाद प्रपत्र 19C/19E/19F में मदिरा के संचयन एवं बिक्री की अनुज्ञप्ति प्रदान की गई हो;
- (viii) "विनिर्माणशाला" से अभिप्रेत है, सभी प्रकार के मदिरा के Compounding, Blending, मद्य हासीकरण तथा बोटलबंदी के लिए स्थापित प्रतिष्ठान;
- (ix) "संचयकर्ता" से अभिप्रेत है, वैसे व्यक्ति/कम्पनी/फर्म, जिन्हें उत्पाद प्रपत्र 1C के तहत मदिरा के संचयन हेतु अनुज्ञप्ति निर्गत की गई हो;
- (x) "थोक विक्रेता" से अभिप्रेत है, वैसे संस्थान, जिन्हें इस नियमावली के तहत संलग्न प्रपत्र 1D में मदिरा के थोक बिक्री की अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है;
- (xi) "खुदरा विक्रेता" से अभिप्रेत है, विभाग द्वारा अधिसूचित विभिन्न नियमावली के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को मदिरा की सीलबंद बोटलों की खुदरा बिक्री के लिए विभाग द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदत्त अनुज्ञाधारी अथवा होटल, रेस्तराँ, बार, क्लब एवं ऑन दुकानों में उपभोग हेतु मदिरा परोसने वाले अनुज्ञप्तिधारी;
- (xii) "मदिरा" से अभिप्रेत है, झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा 2 (14) में यथा परिभाषित पेय;
- (xiii) "ब्राण्ड" से अभिप्रेत है, मदिरा के विभिन्न विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित अपने व्यापार चिन्ह एवं नाम की मदिरा के विभिन्न प्रकार यथा व्हिस्की, ब्राण्डी, रम, जीन, वोदका, बीयर, वाइन एवं अन्य शराब, जिन्हें अनुज्ञप्ति प्राप्त थोक विक्रेताओं के माध्यम से खुदरा मदिरा विक्रेताओं/ होटल, बार, रेस्तराँ, क्लब एवं ऑन दुकानों को बिक्री/उपभोग के लिए उपलब्ध कराया जायेगा;
- (xiv) "एक्स डिस्टिलरी प्राइस (Ex-distillery Price)/एक्स ब्रीवरी प्राइस (Ex-brewery Price)/एक्स वाइनरी प्राइस (Ex-winery Price)" से अभिप्रेत है, मदिरा के थोक विक्रेताओं द्वारा आपूर्तिकर्ता कम्पनी की सहमति से समर्पित मूल्य, जिसमें विनिर्माण लागत, पैकेजिंग लागत, समय-समय पर लागू विभिन्न प्रकार के कर/शुल्क (मूल्य वर्धित कर को छोड़कर), लाभांश तथा परिवहन व्यय इत्यादि सम्मिलित हो;
- (xv) "लैंडिंग प्राइस (Landing Price)" से अभिप्रेत है, संचयकर्ता अनुज्ञप्तिधारक के गोदाम में मदिरा पहुँचने तक का मूल्य;

- (xvi) "थोक बिक्री मूल्य" से अभिप्रेत है, झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 (अधिनियम-II, 1915) एवं इसके अंतर्गत अधिसूचित नियमावली के अनुसार समय-समय पर सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित किये गये मदिरा का अधिकतम थोक बिक्री मूल्य;
- (xvii) "खुदरा बिक्री मूल्य" से अभिप्रेत है, झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 (अधिनियम-II, 1915) एवं इसके अंतर्गत अधिसूचित नियमावली के अनुसार समय-समय पर सक्षम प्राधिकार द्वारा उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए, मदिरा का निर्धारित अधिकतम मूल्य;
- (xviii) "पेटी" से अभिप्रेत है, विदेशी शराब के मामले में 1000ml का 9 बोतल, 750ml का 12 बोतल, 375ml का 24 बोतल एवं 180ml का 48 बोतल। बीयर के मामले में 650ml का 12 बोतल, 500ml, 330ml, 325ml का 24 बोतल/कैन तथा देशी शराब हेतु विभिन्न माप की बोतलों के लिए समय-समय पर आयुक्त उत्पाद द्वारा निर्धारित माप एवं संख्या;
- (xix) "भारत निर्मित विदेशी शराब" से अभिप्रेत है, भारत में बनायी हुई विदेशी शराब, जिसमें व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, जीन, वोदका, बीयर, लो स्ट्रेंथ अल्कोहलिक बिवरेज (LAB) एवं वाईन इत्यादि सम्मिलित है;
- (xx) "आयातित विदेशी शराब (मूल में बोतलबंद)" से अभिप्रेत है, "विदेशों में निर्मित बोतलबंद तथा भारत में आयातित विदेशी मदिरा (Bottled-in-origin) के झारखंड राज्य में आयात, वितरकता, थोक एवं खुदरा बिक्री नियमावली, 2012" में यथा परिभाषित;
- (xxi) "पॉपुलर ब्रांड" से अभिप्रेत है, मदिरा [भारत निर्मित विदेशी शराब/बीयर/वाईन/आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद)], के वैसे ब्रांड, जिनका संपूर्ण झारखंड राज्य में बाजार हिस्सेदारी (Market Share) अपने कटेगरी में 10% से अधिक हो। समय-समय पर आयुक्त उत्पाद के द्वारा पॉपुलर ब्रांड की सूची बिक्री के अनुसार जारी की जायेगी। मदिरा की खुदरा बिक्री के सभी अनुज्ञाधारी पॉपुलर ब्रांड को दुकान में अवश्य रखेंगे।
- (xxii) "अप्रत्यर्पणीय आवेदन शुल्क" से अभिप्रेत है, मदिरा की थोक बिक्री हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए समर्पित किये जाने वाले आवेदन के साथ संलग्न किया जाने वाला निर्धारित शुल्क ₹0 1,00,000/- (एक लाख रुपये) का चालान/बैंक ड्राफ्ट, जिसे वापस नहीं किया जायेगा।
- (xxiii) "आवेदक" से अभिप्रेत है, मदिरा की थोक विक्रेता की अनुज्ञप्ति हेतु कम्पनी द्वारा प्राधिकृत निदेशक;
- (xxiv) "वर्ष" से अभिप्रेत है, वित्तीय वर्ष अर्थात् किसी भी कैलेण्डर वर्ष के पहली अप्रैल से प्रारम्भ होकर अगले कैलेण्डर वर्ष के इक्कीस (31) मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष;
- (xxv) "संचयन गोदाम (वेयरहाउस)" से अभिप्रेत है, झारखंड के विभिन्न प्रमंडलों/प्रक्षेत्रों में अवस्थित झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का गोदाम;
- (xxvi) "आपूर्तिकर्ता" से अभिप्रेत है, झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 के नियम 2 (14) में परिभाषित मदिरा को संचयकर्ता के विभिन्न संचयन गोदाम (वेयरहाउस) में आपूर्ति करने वाली झारखंड राज्य में निर्बंधित/अनुमत कम्पनी अथवा प्रतिष्ठान;
- (xxvii) "प्रक्षेत्र" से अभिप्रेत है, आयुक्त उत्पाद द्वारा निर्धारित जिला/जिला समूह एक या एक से अधिक जिला के सम्भाग का समूह;

(xxviii) "प्लेसमेंट एजेन्सी" से अभिप्रेत है, खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन के निमित्त मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाला प्रतिष्ठान/कम्पनी;

स्पष्टीकरण:- जबतक कि संदर्भ से अन्यथा प्रतीत न हो, इस नियमावली में प्रयुक्त अन्य शब्द, जो इस नियमावली में परिभाषित नहीं हैं, का तात्पर्य वही होगा, जो झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 (यथा संशोधित) एवं उसके अन्तर्गत बनाई गई अन्य नियमावली में है।

3. संचयनकर्त्ता की अनुज्ञप्ति एवं संचालन-

- (i) इस अनुज्ञप्ति का अनन्य विशेषाधिकार झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL) को प्रदान किया जायेगा। आयुक्त उत्पाद द्वारा, निर्धारित संख्या (संपूर्ण झारखंड राज्य में न्यूनतम पाँच), प्रमंडल/प्रक्षेत्र के अनुरूप ये अनुज्ञप्तियाँ स्वीकृत की जायेंगी। इन गोदामों के माध्यम से थोक अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा मदिरा संचयन की जायेगी। इस अनुज्ञप्ति हेतु JSBCL, ₹0 1,00,000/- (एक लाख रुपये) प्रति वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए जमा करेंगी।
- (ii) मदिरा के संचयकर्त्ता अनुज्ञप्तियों का संचालन प्रमंडल/प्रक्षेत्र के अन्तर्गत पर्याप्त क्षमता के गोदाम के माध्यम से किया जायेगा। जहाँ से प्रमंडल/प्रक्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न जिलों के खुदरा उत्पाद दुकान में मदिरा की आपूर्ति की जायेगी। थोक बिक्री हेतु संचयन का गोदाम, सुलभ परिवहन के दृष्टिकोण से "No Entry Zone" से बाहर होना चाहिए।
- (iii) संचयकर्त्ता गोदाम का चयन JSBCL के द्वारा किया जायेगा एवं स्थल का अनुमोदन जिला के उपायुक्त के माध्यम से आयुक्त उत्पाद के द्वारा किया जायेगा।
- (iv) संचयनकर्त्ता अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के उपरांत गोदाम में मदिरा संचयन के पूर्व, गोदाम में अग्नि शमन विभाग के मापदण्डों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा व्यवस्था स्थापित किया जाना आवश्यक होगा।

4. **थोक विक्रेता अनुज्ञप्तियों के प्रकार, स्थान एवं संख्या का निर्धारण-** सम्पूर्ण राज्य में न्यूनतम पाँच थोक बिक्री अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी। आयुक्त उत्पाद के द्वारा थोक अनुज्ञप्ति की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा। प्रमंडल/प्रक्षेत्र के अन्तर्गत मदिरा की मांग एवं आपूर्ति की जाने वाली मदिरा की मात्रा को दृष्टिपथ रखते हुए आयुक्त उत्पाद के द्वारा अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जा सकेंगी।

5. मदिरा की थोक विक्रेता की अनुज्ञप्ति हेतु पात्रता की अनिवार्य शर्तें-

- (i) मदिरा की थोक बिक्री की अनुज्ञप्ति केवल उन कम्पनियों को प्रदान की जायेगी, जो कम्पनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत तथा संचालित हैं। अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के उपरांत सफल आवेदक तीन माह के अंदर अपना शाखा कार्यालय (Branch Office) राज्य के अंदर स्थापित करना सुनिश्चित करेगा। आवेदक कम्पनी मदिरा का विनिर्माणकर्त्ता एवं आपूर्तिकर्त्ता नहीं होना चाहिए।
- (ii) आवेदक कम्पनी के निदेशक, भारत का नागरिक हो एवं 21 वर्ष से कम आयु का न हो।
- (iii) आवेदक की कम्पनी एवं उसके निदेशकों को, व्यतिक्रमी/काली सूची में सम्मिलित अथवा झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 (यथा संशोधित) के अंतर्गत बनायी गई किसी नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत उत्पाद अनुज्ञप्ति धारण करने से वर्जित न किया गया हो।

- (iv) आवेदक की कम्पनी एवं उसके निदेशकों को किसी न्यायालय द्वारा किसी भी गैर जमानतीय अपराध के लिए दोषसिद्ध न किया गया हो। यदि किसी आवेदक को फौजदारी न्यायालय द्वारा सजा दी गई हो, अथवा झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 (यथा संशोधित), स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अथवा झारखंड छोआ अधिनियम, 1947 से संबंधित कानूनों एवं नियमों के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया गया हो, तो इसके अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (v) आवेदक कम्पनी/कम्पनी के निदेशकों के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई सरकारी बकाया यथा Public Demand Recovery Act, राज्य सरकार द्वारा प्रभावी अन्य अधिनियम या नियमावली के तहत बकाया न हो।
- (vi) आवेदक कम्पनी/कम्पनी के निदेशक, दिवालिया नहीं हो।
- (vii) आवेदक कम्पनी को कम-से-कम मदिरा के दो (2) वर्ष का थोक विक्रय का अनुभव होना चाहिए।
- (viii) आवेदक कम्पनी का विगत दो वित्तीय वर्ष में लगातार न्यूनतम 100 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का Turnover होना चाहिए।

उपरोक्त शर्तों को पूर्ण नहीं करने वाले आवेदकों के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

6. **आवेदन के साथ समर्पित किये जाने वाले कागजात-** झारखंड राज्य में मदिरा के थोक विक्रेता की अनुज्ञप्ति हेतु इच्छुक आवेदक, विहित प्रपत्र में अपना लिखित आवेदन आयुक्त उत्पाद के समक्ष समर्पित करेंगे। आवेदक को इस नियमावली के नियम 5 से संबंधित कागजातों के अतिरिक्त निम्न विवरणी का उल्लेख तथा स्वअभिप्रमाणित कागजातों का संलग्न किया जाना आवश्यक होगा -

- i. कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा निर्गत कम्पनी के निगमन/पंजीयन से संबंधित प्रमाण पत्र (Certificate of Incorporation/Registratoion) की दो प्रतियाँ;
- ii. कम्पनी का मेमोरेण्डम ऑफ एशोसिएशन (Memorandum of Association) एवं आर्टिकल्स ऑफ एशोसिएशन (Articles of Association) की दो प्रतियाँ;
- iii. कम्पनी का विगत तीन वर्षों का अंकेक्षित (Audited) वित्तीय अभिलेख यथा बैलेंस सीट (Balance Sheet) एवं लाभ हानि खाता (Profit & Loss Account);
- iv. कम्पनी की अवस्थिति के संबंध में प्रपत्र 18 की प्रति;
- v. कम्पनी के निदेशकों के संबंध में प्रपत्र 29 एवं 32 की प्रति;
- vi. कम्पनी का पैन कार्ड एवं कम्पनी के सभी निदेशकों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र;
- vii. कम्पनी का GST Registration No. एवं GST Return की प्रति;
- viii. कम्पनी का विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न की प्रति;
- ix. कम्पनी का विगत तीन वित्तीय वर्षों का बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर/प्रोफेशनल कर इत्यादि से संबंधित अद्यतन Return Filing की प्रति;
- x. कम्पनी के निदेशक मंडल (Board of Directors) के द्वारा मदिरा की थोक विक्रेता की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के संबंध में पारित रिजोल्यूशन (Resolution) की प्रति;

- xi. कम्पनी का चालू बैंक खाता की प्रति;
- xii. कम्पनी का पोजिटिव नेट वर्थ (Positive Net Worth) से संबंधित अभिलेख;
- xiii. कम्पनी के Board of Directors के द्वारा पारित कम्पनी Resolution के साथ कम्पनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के संबंध में जारी अधिकार पत्र की मूल प्रति;
- xiv. आपूर्तिकर्ता का सहमति पत्र, जिसके लिए थोक विक्रेता के द्वारा मदिरा की बिक्री खुदरा उत्पाद दुकानों को की जायेगी। यह सहमति पत्र Non Judicial Stamp Paper पर Notarized शपथ पत्र के माध्यम से समर्पित किया जायेगा;
- xv. निर्धारित प्रतिभूति राशि एवं अग्रिम अनुज्ञप्ति शुल्क का चालान की प्रति;
- xvi. आवेदक द्वारा विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता इकाई के रजिस्टर्ड कार्यालय का पूर्ण पता, संग्रहित की जाने वाली मदिरा के ब्राण्ड व लेबलों की सूची, जो झारखंड राज्य में प्रदाय के लिए पंजीकृत है, के प्रत्येक लेबल की एक पेटी एवं केस में पैक की गई बोतलों तथा कैन्स की संख्या व उसकी धारिता का विवरण, विनिर्माण इकाई का स्थान, जहाँ से उक्त लेबलों की मदिरा लायी जायेगी, का आवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा;
- xvii. इस नियमावली के साथ संलग्न प्रतिरूप करार (Counterpart Agreement) जो ₹0 100/- के Non Judicial Stamp Paper पर तैयार किया गया;
- xviii. अप्रत्यर्पणीय आवेदन शुल्क से संबंधित चालान/बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति;
- xix. आवेदक की वित्तीय क्षमता से संबंधित प्रमाण (राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा वित्तीय क्षमता के संबंध में निर्गत प्रमाण) पत्र;
- xx. अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के उपरांत उत्पाद विभाग के साथ सम्व्यवहार हेतु अधिकृत प्रतिनिधि का पूर्ण बायोडाटा;
- xxi. कम्पनी के CA द्वारा जारी किया गया Turnover Certificate;
- xxii. अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के उपरांत आयुक्त उत्पाद द्वारा समय-समय पर मांगे जाने वाले अन्य वांछित अभिलेख;
- xxiii. अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के उपरांत उपरोक्त पारा कंडिका 6(xvi) में अंकित दस्तावेजों के अतिरिक्त एवं अतिरिक्त ब्राण्डों के दस्तावेज को समर्पित करने के आवेदन पर आयुक्त उत्पाद के द्वारा स्वीकृति प्रदान किया जा सकेगा एवं नियम 10 (iii) का अनुपालन थोक विक्रेता एवं आपूर्तिकर्ता को करना होगा;

7. अनुज्ञप्ति प्रदान करने की प्रक्रिया-

- (i) आयुक्त उत्पाद द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर मदिरा की थोक विक्रेता अनुज्ञप्ति की बंदोबस्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे।
- (ii) झारखंड राज्य में मदिरा की थोक बिक्री की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए इच्छुक आवेदक विहित प्रपत्र में इस कार्य हेतु विभाग द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल पर सभी वांछित कागजातों के साथ आवेदन समर्पित करेगा। विज्ञप्ति प्रकाशन के कम-से-कम सात दिनों के पश्चात जैसा कि आयुक्त उत्पाद के

द्वारा विनिश्चित किया जायेगा, ऑनलाइन आवेदन हेतु विभागीय पोर्टल को खोला जायेगा। निर्धारित समयावधि के तहत प्राप्त आवेदनों पर ही विचार किया जायेगा। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

मूल आवेदन के साथ संलग्न मूल कागजातों को भी जाँच हेतु आयुक्त उत्पाद के कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अगली तिथि को जमा करना आवश्यक होगा। इन अभ्यावेदनों की जाँच आयुक्त उत्पाद द्वारा गठित समिति के द्वारा की जायेगी। जाँचोपरांत योग्य आवेदकों के पक्ष में आयुक्त उत्पाद के द्वारा अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगी।

- (iii) **जमानत की राशि एवं अनुज्ञप्ति शुल्क-** झारखंड राज्य में मदिरा की थोक विक्रेता की अनुज्ञप्ति के चयन के लिए प्रत्येक योग्य आवेदक को एक वित्तीय वर्ष हेतु न्यूनतम 50 (पचास) लाख रुपये एवं इसके अतिरिक्त ₹0 5 प्रति बल्क लीटर की दर से अनुज्ञप्ति शुल्क देय होगा, जो थोक विक्रेता के द्वारा JSBCL के गोदाम में मदिरा संचयन के पूर्व राज्य कोषागार में जमा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त जमानत राशि के रूप में 2 (दो) करोड़ रुपये जमा करना अनिवार्य होगा।
- (iv) वित्तीय वर्ष के मध्य में किसी आवेदक के द्वारा थोक विक्रेता की अनुज्ञप्ति प्राप्त की जाती है, तो वित्तीय वर्ष के उस तिमाही से शेष बचे हुए वित्तीय वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क त्रैमासिक समानुपातिक रूप से एकमुश्त देय होगा। उदाहरणस्वरूप- अनुज्ञप्ति शुल्क यदि द्वितीय तिमाही में आयुक्त उत्पाद के द्वारा स्वीकृत की जाती है, तो आवेदक को तीन तिमाही का अनुज्ञप्ति शुल्क देय होगा। प्रथम तिमाही में अनुज्ञप्ति स्वीकृत होने की स्थिति में पूरे वर्ष का अनुज्ञप्ति शुल्क देय होगा।
- (v) **जमानत की राशि की वापसी-** अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति के पश्चात राज्य सरकार को देय सभी बकाया राशि के समायोजन के पश्चात ही जमानत की राशि की वापसी की जायेगी। समय-समय पर वर्णित जमानत की राशि में परिवर्तन आयुक्त उत्पाद के द्वारा किया जा सकेगा।
- (vi) सैन्य बलों के कैंटिन (उत्पाद प्रपत्र 21) को मदिरा की थोक आपूर्ति हेतु प्रदत्त रामगढ़ जिला में उत्पाद प्रपत्र 1 की अनुज्ञप्ति, इस नियमावली के क्रियाशील होने के उपरांत आवेदन के आधार पर, इस नियमावली के साथ संलग्न अनुज्ञप्ति प्रपत्र में प्रदान की जायेगी। इस अनुज्ञप्ति हेतु जमानत की राशि 3 लाख रुपये तथा अनुज्ञप्ति शुल्क की राशि 12 लाख रुपये प्रति वित्तीय वर्ष होगी। इस अनुज्ञप्ति के तहत झारखंड राज्य में असैनिक आपूर्ति हेतु निबंधित आपूर्तिकर्ता के, केवल झारखंड राज्य में निबंधित ब्राण्डों की ही बिक्री की जायेगी।

8. **मदिरा के थोक विक्रेता की अनुज्ञप्ति की कालावधि-**

- (i) इस नियमावली के तहत अनुज्ञप्तियाँ वित्तीय वर्ष अथवा वित्तीय वर्ष के भाग के लिए बंदोबस्ती की जायेंगी। बंदोबस्ती अवधि के बाद भी इन अनुज्ञप्तियों का नवीकरण आयुक्त उत्पाद के अनुमोदन के पश्चात, मदिरा के थोक विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मदिरा की थोक बिक्री संतुष्टिपूर्वक किये जाने तथा वांछित उत्पाद राजस्व की राशि जमा करने के उपरांत आगामी वित्तीय वर्ष के लिए किया जा सकेगा।

अनुज्ञाधारी, आगामी वित्तीय वर्ष में अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु आवेदन प्रत्येक वर्ष 20 जनवरी तक अवश्य रूप से जमा कर देगा।

- (ii) इस नियमावली के तहत अनुज्ञप्तियाँ एक वित्तीय वर्ष या वित्तीय वर्ष के भाग के लिए प्रदान की जायेगी, जिनका नवीकरण इस नियम की उपकंडिका- (i) के अनुरूप किया जा सकेगा।
- (iii) अनुज्ञप्तियों का नवीनीकरण आयुक्त उत्पाद के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया व नियम 5 एवं 6 से संबंधित दस्तावेजों के पुनः समीक्षा कर किया जायेगा।

9. **थोक विक्रेता का उत्तरदायित्व-**

- (i) मदिरा के खुदरा बिक्री मूल्य तथा थोक बिक्री मूल्य के निर्धारण हेतु थोक विक्रेता इस नियमावली के नियम 2(xiv) में यथा परिभाषित EDP/EBP/EWP आयुक्त उत्पाद के समक्ष समर्पित करेगा। खुदरा बिक्री मूल्य एवं थोक बिक्री मूल्य का निर्धारण सदस्य, राजस्व पर्षद द्वारा निर्धारित फार्मूले के अनुरूप आयुक्त उत्पाद के द्वारा किया जायेगा। किसी भी चालू ब्राण्ड के मदिरा के EDP/EBP/EWP में परिवर्तन हेतु आवेदन नियमानुसार वर्ष के जनवरी एवं जुलाई माह में किया जा सकेगा।
- (ii) थोक विक्रेता उक्त गोदाम में मदिरा के संचयन हेतु मासिक प्रबंधन शुल्क संचित मदिरा की Landing Cost का 1% (GST छोड़कर) झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को भुगतान करेंगे।
- (iii) मदिरा की प्रत्येक थोक विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी को संचयन गोदाम (वेयरहाउस) में प्रमंडल/ प्रक्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न जिला के मांग के अनुरूप अबाधित आपूर्ति हेतु न्यूनतम स्कन्ध (Stock) का संधारण करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक थोक विक्रेता इस निमित्त प्रत्येक ड्यूटी/ स्लैब की मदिरा एवं पॉपुलर ब्राण्ड का न्यूनतम स्कन्ध (पूर्व के वर्षों में ड्यूटी/स्लैब के अनुसार बिक्री की गई मात्रा के अनुरूप) संधारित करेगा। प्रत्येक थोक विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी के लिए किसी भी समय संधारित किये जाने योग्य न्यूनतम स्कन्ध (Stock) के संबंध में आयुक्त उत्पाद के द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा, जिसे मानना प्रत्येक अनुज्ञाधारी के लिए बाध्यकारी होगा।

आयुक्त उत्पाद के द्वारा मदिरा के किसी ब्राण्ड के निमित्त निर्धारित न्यूनतम मात्रा से कम मात्रा में मदिरा का संचयन JSBCL के गोदाम में करने पर थोक अनुज्ञप्तिधारी पर उस ड्यूटी/स्लैब उत्पाद राजस्व के समतुल्य अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा।

10. **कॉरपोरेशन के कार्य-**

- (i) इस नियमावली के तहत कॉरपोरेशन मुख्यतः मदिरा की आपूर्तिकर्ता एवं मदिरा की थोक बिक्री अनुज्ञप्तिधारियों के बीच समन्वय (Co-ordination) के साथ-साथ झारखंड राज्य में अवस्थित विभिन्न संचयन गोदाम (वेयरहाउस) में मदिरा के संचयन का कार्य करेगा।
- (ii) झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रत्येक प्रमंडल/प्रक्षेत्र में आवश्यकतानुसार संचयन गोदाम (वेयरहाउस) का चयन करेगा। गोदामों के स्थल चयन में इस तथ्य का संज्ञान रखा जायेगा कि गोदाम से प्रक्षेत्र अंतर्गत सभी खुदरा उत्पाद दुकानों में मदिरा की आपूर्ति सुचारु रूपेण की जा सके।

थोक विक्रेताओं के द्वारा उक्त गोदामों में केवल उसी आपूर्तिकर्त्ता के मदिरा का संचयन किया जायेगा, जिसके लिए उन्हें उस आपूर्तिकर्त्ता से सहमति पत्र प्राप्त हो।

- (iii) आपूर्तिकर्त्ता कम्पनियों के द्वारा किसी भी थोक विक्रेता को सहमति प्रदान करने के पूर्व JSBCL एवं विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- (iv) कॉरपोरेशन/विभाग के वेबसाइट का उपयोग, आपूर्तिकर्त्ता/मदिरा की थोक विक्रेताओं द्वारा मदिरा की आपूर्ति हेतु मांग (Indent) लगाने एवं एतद् संबंधी पारक प्राप्त करने तथा पंजियों के संधारण के लिए किया जायेगा।
- (v) कॉरपोरेशन/विभाग के वेबसाइट पर विकसित एवं प्रयोग में लायी जा रही विभिन्न प्रकार के प्रपत्र एवं पंजियों के अनुसार ही थोक विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्कन्ध (Stock) का संधारण किया जायेगा।
- (vi) प्रत्येक प्रमण्डल/प्रक्षेत्र में अवस्थित संचयन गोदाम (वेयरहाउस) से मदिरा की बिक्री केवल खुदरा उत्पाद दुकानों के अनुज्ञाधारियों को ही की जायेगी।
- (vii) खुदरा उत्पाद दुकानों में मदिरा की आपूर्ति हेतु JSBCL के पोर्टल के माध्यम से पारक निर्गत करने हेतु Indent लगाया जायेगा, जिसकी स्वीकृति संबंधित सहायक आयुक्त उत्पाद/ अधीक्षक उत्पाद के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से दी जायेगी। जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के द्वारा जिला अन्तर्गत मदिरा परिवहन हेतु अधिकतम दो दिन का समय परिवहन पारक में दिया जायेगा। किसी कारणवश दो दिन के अंदर मदिरा का उठाव नहीं करने की स्थिति में परिवहन पारक की अवधि को सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद द्वारा विस्तारित किया जा सकेगा।
- (viii) निर्धारित मूल्य वर्धित कर (वैट) के भुगतान के उपरांत ही मदिरा, झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड संचयककर्त्ता के गोदाम में थोक विक्रेता द्वारा की जा सकती है। थोक विक्रेता द्वारा मदिरा के परेषण एवं संचयन के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक विनष्ट होने पर उत्पाद कर/शुल्क की राशि वापसी योग्य नहीं होगी।
- (ix) झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 के तहत बनाये गये विभिन्न नियम एवं निर्गत विभिन्न आदेश/निदेशों में आवंटित अन्य कार्य, जिसके लिए JSBCL को प्राधिकृत किया गया है, का निष्पादन भी करना होगा।

11. मदिरा के थोक विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मदिरा आपूर्ति की प्रक्रिया-

- (i) मदिरा के थोक विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा आपूर्तिकर्त्ता से मदिरा आपूर्ति हेतु मांग (Indent) की जायेगी। JSBCL के ऑनलाइन अनुमोदन के आधार पर JSBCL के गोदाम में विभिन्न प्रकार की मदिरा की आपूर्ति राज्य में अनुमत आपूर्तिकर्त्ताओं के द्वारा की जायेगी। आपूर्ति मदिरा के मूल्य का भुगतान थोक बिक्री अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा Landing Price के अनुसार सीधे आपूर्तिकर्त्ताओं को किया जायेगा।
- (ii) तीन माह से अधिक समय तक मदिरा का उठाव न होने पर JSBCL थोक विक्रेताओं पर प्रति पेट्टी JSBCL के प्रावधानों के अनुसार विलंब शुल्क (Demurrage Charge) की वसूली कर सकेगा।

- (iii) खुदरा उत्पाद दुकानों में छः माह से अधिक समय तक मदिरा की बिक्री नहीं होती है, तो उस मदिरा को अविक्रेय मदिरा (Dead Stock) घोषित कर दिया जायेगा। उक्त मदिरा पर खुदरा बिक्री मूल्य (MRP) के अनुसार JSBCL के प्रावधानों के अनुरूप दायित्व शुल्क अधिरोपित कर इसकी वसूली 75% थोक विक्रेताओं तथा 25% प्लेसमेंट एजेंसी से की जायेगी।
- (iv) आपूर्तिकर्ता से थोक विक्रेता द्वारा JSBCL के संचयन गोदाम (वेयरहाउस) तक मदिरा के परिवहन हेतु JSBCL के पोर्टल के माध्यम से परिवहन पारक उत्पाद विभाग के सक्षम पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत किया जायेगा। एतद् संबंधी परिवहन पारक (Permit) उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मुख्यालय में पदस्थापित सहायक आयुक्त उत्पाद से अन्यून स्तर के पदाधिकारी के द्वारा निर्गत किया जायेगा।
- (v) थोक विक्रेता द्वारा प्रेषित स्कन्ध का संचयन गोदाम के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। मदिरा संचयन से संबंधित सभी वांछित प्रविष्टियाँ संबंधित पंजियों में ही की जायेंगी। JSBCL के संचयन गोदाम (वेयरहाउस) में ही मदिरा संचित की जायेगी।
- (vi) विशेष परिस्थिति में प्रक्षेत्र/प्रमंडल से बाहर अंतर-संचयन गोदाम (वेयरहाउस) के लिए मदिरा का स्थानांतरण प्रबंध निदेशक, JSBCL से NOC प्राप्त करने के उपरांत आयुक्त उत्पाद के द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर किया जा सकेगा।

12. मदिरा की क्षति की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी की देयता-

- (i) संचयन गोदाम (वेयरहाउस) में मदिरा के परिवहन की जिम्मेवारी थोक विक्रेता की होगी। किसी भी प्रकार की परिवहन क्षति/संचयन क्षति की पूर्ण जिम्मेवारी थोक विक्रेता की ही होगी। थोक विक्रेता द्वारा गोदामों में संचित मदिरा का बीमा कराना आवश्यक होगा।
- (ii) थोक विक्रेता के द्वारा संचयन गोदाम में Non Duty Paid मदिरा के स्कन्धों का संचयन किया जायेगा। अतः उत्पाद राजस्व को संरक्षित करने के उद्देश्य से आयुक्त उत्पाद द्वारा यथा निर्धारित राशि का बंध पत्र थोक विक्रेता को समर्पित करना पड़ेगा।

13. मदिरा के थोक बिक्री के गोदाम के कार्य करने की अवधि- मदिरा के थोक बिक्री की गोदामें पूर्वाह्न 09:00 बजे से रात्रि 07:00 बजे तक संचालित की जा सकेंगी।

14. मदिरा के थोक बिक्री गोदामों को बंद करना (शुष्क दिवस)-

- (i) मदिरा की थोक बिक्री की गोदामें 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, विजयादशमी, रामनवमी, होली एवं मुहूर्त पर्व के अवसर पर बंद रहेंगी। इसके अतिरिक्त जिला के उपायुक्त केवल विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने पर अथवा निर्वाचन कार्य इत्यादि, के लिए यदि आवश्यक समझें, तो आत्मभारित आदेश पारित कर मदिरा की थोक बिक्री की गोदामों की बंदी करा सकेंगे। इसके लिए अनुज्ञाधारी को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
- (ii) केवल विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका के आधार पर मदिरा की थोक बिक्री की गोदामों को बंद नहीं कराया जायेगा।

15. **JSBCL के संचयन गोदाम में स्टॉक रजिस्टर का संधारण-** विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र एवं JSBCL के पोर्टल में ऑनलाइन संधारित किये जाने वाले पंजियों में अनुज्ञाधारी प्रतिदिन के स्टॉक का लेखा-जोखा नियमित रूप से संधारित करेगा। भविष्य में विभाग द्वारा अनुज्ञाधारी को यह निदेशित किये जाने पर कि वह सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकों का उपयोग करते हुए विहित विधि से स्टॉक का संधारण करें, तो विभाग द्वारा निर्धारित तिथि से यह उसके लिए बाध्यकारी होगा।
16. **आयुक्त उत्पाद द्वारा यथा निर्देशित तकनीकी संयंत्रों एवं आधारभूत संरचनाओं की स्थापना -** संपूर्ण झारखंड राज्य में कार्यरत मदिरा के थोक विक्रेता अनुज्ञाधारियों के पास मौजूद स्टॉक, इसकी बिक्री इत्यादि से संबंधित विवरणी केन्द्रीय रूप से प्राप्त करने के लिए आयुक्त उत्पाद द्वारा निदेशित किये जाने पर थोक विक्रेता, संचयकर्त्ता, आपूर्तिकर्त्ता एवं विनिर्माता प्रतिष्ठानों के अनुज्ञाधारी Track & Trace Technology, IP based CCTV, Electronic Boom Barrier, GPS based Vehicle Tracking Device, Digital Lock से संबंधित संयंत्रों एवं आधारभूत संरचनाओं को अपने निजी खर्च पर अवश्य रूप से गोदाम में स्थापित करेगा एवं इसे चालू अवस्था में रखेगा। इसके अतिरिक्त आयुक्त उत्पाद द्वारा इस संबंध में समय-समय पर दिये गये निदेशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करेगा। इस संबंध में आयुक्त उत्पाद का निदेश नहीं मानने पर अनुज्ञप्ति प्राधिकार द्वारा अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दिया जायेगा, अथवा संबंधित विनिर्माणकर्त्ता प्रतिष्ठान में उत्पादित मदिरा की आपूर्ति पर रोक लगा दिया जायेगा।
थोक विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी, विभाग द्वारा निबंधित/अनुमोदित लेबलों से भिन्न ब्राण्ड की मदिरा की आपूर्ति नहीं कर सकेंगे। जिन ब्राण्ड पर Excise Hologram नहीं चिपका हुआ हो, उसकी भी बिक्री नहीं की जायेगी। अनुज्ञप्तिधारी Expired Stock की भी बिक्री नहीं करेगा।
17. **मदिरा के थोक बिक्री के गोदामों का निरीक्षण -** उत्पाद विभाग के प्रमण्डलीय उपायुक्त उत्पाद, JSBCL के संचयन गोदाम (वेयरहाउस) के वरीय प्रभार में रहेंगे। साथ ही अवर निरीक्षक उत्पाद से अन्यून पदाधिकारी उक्त गोदाम के प्रभारी पदाधिकारी (Bond Officer) के प्रभार में रहेंगे, जिनका पदस्थापन मुख्यालय स्तर से आयुक्त उत्पाद के द्वारा किया जायेगा।
18. **मदिरा के थोक बिक्री के गोदाम में मौजूद स्कन्ध की गुणवत्ता की जाँच-** जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद से अन्यून पदाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार मदिरा के थोक बिक्री के गोदाम में मौजूद स्कन्ध की गुणवत्ता की जाँच अनुज्ञाधारी के लागत पर करायी जा सकेगी। मदिरा के FSSAI मानकों के अनुरूप नहीं होने पर थोक विक्रेता एवं उस ब्राण्ड के आपूर्तिकर्त्ता कम्पनी के उपर जाँचोपरांत नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
19. मदिरा के ऊपर अधिरोपित किसी भी प्रकार के शुल्क/कर की दर में परिवर्तन होने पर राजस्व पर्षद की अधिसूचना संख्या 23-137-2 दिनांक 29.04.2019 के नियम 147 के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।
20. **अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु की दशा में अनुज्ञप्तियों का वैध वारिस को स्थानांतरण-**
 - (i) थोक विक्रेता की अनुज्ञप्ति के चालू रहने की अवधि में यदि अनुज्ञप्तिधारी का निधन हो जाता है, तो वैसी परिस्थिति में थोक बिक्री अनुज्ञप्तिधारी के व्यापार वैध वारिस के माध्यम से तात्कालिक व्यवस्था के

तहत क्रियाशील रहेंगी, जबतक कि उसका स्थानांतरण आयुक्त उत्पाद के द्वारा भूतपूर्व अनुज्ञाधारी के वैध वारिस को नहीं कर दिया जाता है, बशर्त कि इस अनुज्ञप्ति के माध्यम से राज्य को प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के देयताओं एवं दावों की भरपाई कर दी गई हो एवं भूतपूर्व अनुज्ञप्तिधारी का वैध वारिस अनुज्ञप्ति धारण करने का पात्र हो।

- (ii) अनुज्ञप्ति के नाम स्थानांतरण के संबंध में आवेदन प्राप्त होने पर आयुक्त उत्पाद के द्वारा एक माह के अंदर इस संबंध में निर्णय ले लिया जायेगा।

21. **संचयकर्त्ता गोदामों का स्थानांतरण-** JSBCL के संचयन गोदाम (वेयरहाउस) के गोदामों के संचालन के क्रम में आने वाली व्यावहारिक कठिनाईयों को दृष्टिपथ रखते हुए थोक बिक्री अनुज्ञप्तिधारी के गोदाम के स्थल स्थानांतरण की अनुमति आयुक्त उत्पाद के अनुमोदनोपरांत जिला के उपायुक्त/ समाहर्त्ता द्वारा दी जा सकती है।
22. **मदिरा के मानव उपभोग योग्य नहीं रहने पर मदिरा के निष्पादन की प्रक्रिया-** किसी भी प्रकार की मदिरा के लिए यह प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कि यह अब मानव उपभोग योग्य नहीं है, तो मदिरा के थोक विक्रेता के द्वारा जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के समक्ष इसके विनष्टीकरण के लिए आवेदन किया जायेगा। इस प्रकार की मदिरा के विनष्टीकरण के लिए सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद आदेश करेंगे। सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि एवं मदिरा के थोक विक्रेता के प्रतिनिधि के समक्ष मदिरा का विनष्टीकरण करेंगे। विनष्टीकरण के पश्चात मदिरा के थोक विक्रेता अपने स्कन्ध पंजी से ऐसे स्कन्ध को घटा देंगे। विनष्टीकरण की कार्रवाई का वीडियो रिकॉर्डिंग किया जायेगा एवं इसके CD/DVD/Pen Drive की एक प्रति जिला उत्पाद कार्यालय तथा एक प्रति अनुज्ञाधारी के पास सुरक्षित रखी जायेगी।
23. Non-saleable/अनिबंधित Stock की वापसी/विनष्टीकरण आयुक्त उत्पाद के निदेशानुसार की जा सकेगी।
24. **भूतपूर्व थोक विक्रेता अनुज्ञाधारी एवं वितरकता अनुज्ञाधारी के स्कन्ध का निष्पादन-** झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 (यथा संशोधित) के तहत वर्णित सदस्य, राजस्व पर्वद के अनुदेशों से संबंधित कंडिका 117 में वर्णित प्रक्रिया के अनुरूप की जायेगी। परंतु, स्कन्ध स्थानांतरण के कारण भूतपूर्व थोक विक्रेता को केवल क्रय मूल्य (सभी प्रकार के ड्यूटी/कर को छोड़कर) का भुगतान नये अनुज्ञाधारी द्वारा किया जायेगा।

वितरकता अनुज्ञाधारियों (19C/19E/19F) के गोदाम में संचित स्कन्ध का स्थानांतरण नये थोक विक्रेता अनुज्ञाधारी के माध्यम से संचयनकर्त्ता के गोदाम में इस नियमावली में वर्णित प्रावधानों के तहत किया जा सकेगा। इस विधि से स्कन्ध के निष्पादन हेतु आयुक्त उत्पाद द्वारा आवश्यकतानुसार निदेश जारी किये जा सकेंगे।

25. **अनुज्ञप्ति का निलंबन, निरस्तीकरण और शास्तियाँ** - अनुज्ञप्ति की शर्तों तथा झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 के तहत बने नियमों/आदेशों/निदेशों का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में नियमानुसार अनुज्ञप्ति के निलंबन, निरस्तीकरण एवं शास्ति अधिरोपण संबंधी कार्रवाई की जायेगी। किसी अनियमितता का शास्ति निर्धारित नहीं हो, इस संबंध में आयुक्त उत्पाद आर्थिक दण्ड लगाने का निर्णय ले सकेंगे।

26. “झारखंड मदिरा के भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2022” में प्रयुक्त शब्द अथवा नियम की व्याख्या में संशय होने पर इसे आयुक्त उत्पाद के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा। इस संबंध में आयुक्त उत्पाद का निर्णय अंतिम होगा। इस नियमावली के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन, राजस्व हित, प्रशासनिक हित तथा व्यावसायिक सुगमता हेतु आयुक्त उत्पाद निर्देश जारी करने एवं निर्णय लेने हेतु सक्षम प्राधिकार होंगे।
27. इस नियमावली के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त संचयकर्त्ता एवं थोक विक्रेता, झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 (यथा संशोधित), इस अधिनियम के तहत बने नियमों, आदेशों, निर्देशों, परिपत्रों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे।
28. **निरसन-**
- (i) सभी प्रकार के मदिरा की थोक बिक्री एवं वितरक से संबंधित, सभी पूर्व निर्गत नियमावली, इस नियमावली के तहत गोदामों का संचालन प्रारम्भ होने की तिथि से निरसित समझी जायेंगी, तथापि ऐसे निरसन के होते हुए भी पूर्व में लिये गये सभी निर्णय इस नियमावली के तहत समझे जायेंगे।
- (ii) इस नियमावली को पूर्ण रूप से प्रवृत्त करने के निमित्त आयुक्त उत्पाद, जिसे वे उचित समझे निदेश/आदेश/प्रपत्र/विहित फार्म जारी कर सकेंगे, परंतु ऐसा कोई निदेश/आदेश निर्गत नहीं किया जायेगा, जो इस नियमावली के विपरीत हो।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव ।

उत्पाद प्रपत्र 1(सी)

संचयकर्ता का अनुज्ञप्ति प्रपत्र

"झारखण्ड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2022" के नियम- 3 में वर्णित प्रावधानों के अधीन झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को झारखंड में मदिरा थोक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आपूरित मदिरा के संचयन हेतु उत्पाद प्रपत्र 1(सी) में अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है। इस निमित्त वित्तीय वर्ष- अथवा इसके भाग के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क के रूप में ₹0 (अक्षरों में रुपये) (जिसका अग्रिम भुगतान किया जा चुका है) का भुगतान अनिवार्य होगा।

संचयन गोदाम (वेयरहाउस) की अवस्थिति -

1. प्रक्षेत्र का नाम -
2. अनुज्ञप्ति की कालावधि -
3. गोदाम का अक्षांश - देशांतर -
4. भूगृहादि का विवरण (गोदाम की चौहद्दी) -
 उत्तर - दक्षिण -
 पूरब - पश्चिम -

सामान्य शर्तें -

- (1) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस अनुज्ञप्ति के अधीन, देशी एवं विदेशी मदिरा के केवल उन लेबल एवं ब्राण्डों की मदिरा का संचयन किया जायेगा, जो आयुक्त उत्पाद द्वारा अनुमोदित एवं पंजीकृत हो। अपंजीकृत लेबल या ब्राण्डों की मदिरा का संचयन प्रतिबंधित रहेगा।
- (2) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सिर्फ सीलबंद मदिरा (विदेशी शराब/देशी शराब) का संचयन किया जा सकेगा।
- (3) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सिर्फ उन्हीं मदिरा का संचयन किया जा सकेगा, जिसके निमित्त "झारखण्ड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2022" के नियम 10(vii) के आलोक में परमिट निर्गत किया गया हो।
- (4) अनुज्ञप्तिधारी केवल अनुज्ञप्त परिसर में ही कारोबार का संचालन कर सकेगा। आयुक्त उत्पाद की पूर्व अनुमति के बिना परिसर में कोई परिवर्तन अनुमत नहीं होगा।
- (5) अनुज्ञप्तिधारी समस्त मदिरा की प्राप्ति, स्कन्ध एवं विक्रय का लेबल एवं ब्राण्डवार विवरणी प्रतिदिन विहित प्रपत्र में (ऑनलाइन/ऑफलाइन) संधारित करेगा।
- (6) आयुक्त उत्पाद समय-समय पर कार्य-हित/राजस्व-हित में उक्त संचयन गोदाम (वेयरहाउस) के संचालन के संबंध में आवश्यक निदेश निर्गत कर सकेंगे, जिसका अनुपालन करना अनुज्ञप्तिधारी के लिए बाध्यकारी होगा।
- (7) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति परिसर में स्थित 1(डी) (थोक बिक्री अनुज्ञप्तिधारी) को संचालन संबंधी आवश्यक निर्देश दे सकेगा।

- (8) अनुज्ञप्तिधारी को "झारखण्ड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2022" में वर्णित सभी शर्तों (जो संचयनकर्त्ता से संबद्ध हो) का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा एवं इस नियमावली की शर्तें, जो संचयनकर्त्ता गोदाम के संबंध में वर्णित हैं, अनुज्ञप्ति की शर्तें मानी जायेंगी।
- (9) इस अनुज्ञप्ति की शर्तें या झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 के किसी नियम/ उप नियम का अनुपालन करना अनुज्ञप्तिधारी के लिए बाध्य होगा। उक्त शर्त से विचलन की स्थिति में अनुज्ञप्ति प्राधिकार अनुज्ञप्ति को रद्द या निलंबित कर सकेंगे।

दिनांक:-

आयुक्त उत्पाद,
झारखंड, राँची ।

“झारखण्ड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2022” के तहत उत्पाद प्रपत्र 1(डी) में मदिरा की थोक विक्रेता की अनुज्ञप्ति (Counter Foil)
(विभाग की प्रति)

आवेदक का फोटो

1. अनुज्ञप्तिधारी का नाम -
2. अनुज्ञप्तिधारी के पिता का नाम -
3. अनुज्ञप्तिधारी का पता -
4. अनुज्ञप्ति संख्या - वर्ष
5. बंदोबस्ती की अवधि -
6. अनुज्ञप्ति की अवधि -
7. वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क - (अंकों में) (शब्दों में)
8. जमानत की राशि - (अंकों में) (शब्दों में)
9. अनुज्ञप्ति का नवीकरण वर्ष - वित्तीय वर्ष
वित्तीय वर्ष
वित्तीय वर्ष

दिनांक

जिला

अनुज्ञप्ति प्राधिकार
आयुक्त उत्पाद

“झारखण्ड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2022” के तहत उत्पाद प्रपत्र 1(डी) में मदिरा की थोक विक्रेता की अनुज्ञप्ति (Counter Foil)
(JSBCL की प्रति)

आवेदक का फोटो

1. अनुज्ञप्तिधारी का नाम -
2. अनुज्ञप्तिधारी के पिता का नाम -
3. अनुज्ञप्तिधारी का पता -
4. अनुज्ञप्ति संख्या - वर्ष
5. बंदोबस्ती की अवधि -
6. अनुज्ञप्ति की अवधि -
7. वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क - (अंकों में) (शब्दों में)
8. जमानत की राशि - (अंकों में) (शब्दों में)
9. अनुज्ञप्ति का नवीकरण वर्ष - वित्तीय वर्ष
वित्तीय वर्ष
वित्तीय वर्ष

दिनांक

जिला

अनुज्ञप्ति प्राधिकार

आयुक्त उत्पाद

“झारखण्ड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2022” के तहत उत्पाद प्रपत्र 1(डी) में मदिरा की थोक विक्रेता की अनुज्ञप्ति

आवेदक का फोटो

1. अनुज्ञप्तिधारी का नाम -
2. अनुज्ञप्तिधारी के पिता का नाम -
3. अनुज्ञप्तिधारी का पता -
4. अनुज्ञप्ति संख्या - वर्ष
5. बंदोबस्ती की अवधि -
6. अनुज्ञप्ति की अवधि -
7. वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क - (अंकों में) (शब्दों में)
8. जमानत की राशि - (अंकों में) (शब्दों में)
9. अनुज्ञप्ति का नवीकरण वर्ष - वित्तीय वर्ष

वित्तीय वर्ष

वित्तीय वर्ष

.....

“झारखण्ड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2022” के नियम- 4 में वर्णित प्रावधानों के अधीन झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को झारखंड राज्य में विभिन्न संचयन गोदाम (वेयरहाउस) में मदिरा की आपूर्ति के निमित्त उत्पाद प्रपत्र 1(डी) में अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है। इस निमित्त वित्तीय वर्ष- अथवा इसके भाग के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क के रूप में ₹0 (अक्षरों में रुपये) (जिसका अग्रिम भुगतान किया जा चुका है) का भुगतान अनिवार्य होगा।

अनुज्ञप्ति की सामान्य शर्तें

1. अनुज्ञप्तिधारी को "झारखण्ड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2022" की शर्तें अनुज्ञप्ति की शर्तें मानी जायेंगी एवं अनुज्ञाधारी को इसका पालन करना बाध्यकारी होगा।
2. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सिर्फ उन्हीं मदिरा की आपूर्ति की जा सकेगी, जिसके निमित्त "झारखण्ड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2022" के नियम 10(vii) के आलोक में परमिट निर्गत किया गया हो।
3. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस अनुज्ञप्ति के अधीन, देशी/विदेशी मदिरा के केवल उन लेबल एवं ब्राण्डों की ही मदिरा की आपूर्ति की जा सकेगी, जो आयुक्त उत्पाद द्वारा अनुमोदित एवं पंजीकृत हों। अपंजीकृत लेबल या ब्राण्डों की मदिरा की आपूर्ति प्रतिबंधित रहेगी।
4. अनुज्ञप्तिधारी, अपनी मदिरा की आपूर्ति सिर्फ उत्पाद प्रपत्र 1(सी) के अनुज्ञाधारी के संचयन गोदाम (वेयरहाउस) में ही मदिरा की आपूर्ति कर सकेंगे। अनुज्ञाधारी के द्वारा मदिरा की अन्यत्र आपूर्ति प्रतिबंधित रहेगी।
4. अनुज्ञप्तिधारी केवल अनुज्ञप्त परिसर में ही कारोबार का संचालन कर सकेगा। आयुक्त उत्पाद की पूर्व अनुमति के बिना परिसर में कोई परिवर्तन अनुमत नहीं होगा।
5. इस अनुज्ञप्ति के तहत मदिरा की थोक बिक्री हेतु गोदाम पूर्वाह्न 09:00 से रात्रि के 07:00 बजे तक संचालित की जायेंगी।
6. "झारखण्ड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2022" के नियम 14 के अनुसार मदिरा की थोक बिक्री की गोदामें, शुष्क दिवसों पर बंद रहेंगी। इन दिनों मदिरा की आपूर्ति/परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।
7. अनुज्ञप्तिधारी देशी/विदेशी मदिरा का भंडारण विहित कर एवं शुल्कों, जैसा भी लागू हो, का भुगतान होने के पश्चात करेगा।
8. अनुज्ञप्तिधारी, भंडारित किये गये स्कन्ध के सभी अनुज्ञापत्र तथा बीजक उचित अनुक्रम में परिरक्षित करेगा तथा उन्हें निरीक्षणकर्ता प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
9. अनुज्ञप्तिधारक, 1 (सी) अनुज्ञप्तिधारक (JSBCL) द्वारा मदिरा के भंडारण हेतु निर्धारित शर्तों/निर्देशों से आबद्ध रहेगा।
10. "झारखण्ड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2022" के नियम 15 के तहत अनुज्ञाधारी विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में प्रतिदिन के स्टॉक का लेखा-जोखा नियमित रूप से संधारित करेगा। भविष्य में विभाग द्वारा अनुज्ञाधारी को यह निदेशित किये जाने पर कि वह सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकों का उपयोग करते हुए विहित विधि से स्टॉक का संधारण करें, तो विभाग द्वारा निर्धारित तिथि से यह उसके लिए बाध्यकारी होगा। इस निमयावली के नियम 16 के अनुरूप आयुक्त उत्पाद द्वारा निदेशित किये जाने पर अनुज्ञाधारी Track & Trace Technology, IP based CCTV, Electronic Boom Barrier, GPS based Vehicle Tracking Device, Digital Lock से संबंधित संयंत्रों एवं आधारभूत

संरचनाओं को अपने निजी खर्च पर अवश्य रूप से दुकान में स्थापित करेगा एवं इसे चालू अवस्था में रखेगा।

11. अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति परिसर में स्वचालित अग्नि निरोधक यंत्र/अग्निशमन यंत्र निश्चित रूप से लगायेगा।
12. अनुज्ञप्तिधारी समस्त मदिरा की प्राप्ति, स्कन्ध एवं विक्रय का लेबल एवं ब्राण्डवार विवरणी प्रतिदिन विहित प्रपत्र में (ऑनलाइन/ऑफलाइन) संधारित करेगा एवं निरीक्षी पदाधिकारी के समक्ष यथासमय प्रस्तुत करेगा। गोदामों के निरीक्षण, स्कन्ध का भौतिक सत्यापन एवं कागजातों की जाँच के दौरान अनुज्ञाधारी निरीक्षी पदाधिकारी को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।
13. आयुक्त उत्पाद समय-समय पर कार्य-हित/राजस्व-हित में उक्त संचयन गोदाम (वेयरहाउस) के संचालन के संबंध में आवश्यक निदेश निर्गत कर सकेंगे, जिसका अनुपालन करना अनुज्ञप्तिधारी के लिए बाध्यकारी होगा।
14. अनुज्ञप्तिधारी, केवल झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के गोदाम परिसर अन्तर्गत स्वीकृत गोदाम से ही कारोबार का संचालन करेगा, आबकारी आयुक्त की लिखित में पूर्व अनुमति के बिना, परिसर में कोई परिवर्धन या परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
15. थोक विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी के गोदाम से बिकने वाली प्रति Packaged इकाई की मात्रा एवं अल्कोहिक शक्ति वही होगी, जो सरकार/राजस्व पर्षद द्वारा समय-समय पर प्रावधानित की जायेगी।
16. "झारखण्ड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2022" के नियम 25 के तहत अनुज्ञप्तियों के निलंबन, निरस्तीकरण एवं शास्तियों की कार्रवाई की जायेगी।
17. अनुज्ञप्तिधारी, झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915, इस अधिनियम के तहत बने नियमों, आदेशों, निर्देशों, परिपत्रों एवं आयुक्त उत्पाद द्वारा निर्गत निदेशों/अनुदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे।
18. मदिरा की थोक बिक्री की बंदोबस्ती से संबंधित इस नीति को समीक्षोपरांत राज्य सरकार कभी भी समाप्त/संशोधित कर सकती है। इसके लिए अनुज्ञप्तिधारी को किसी प्रकार का क्षतिपूर्ति अथवा मुआवजा नहीं दिया जायेगा।
19. मदिरा की थोक बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि अनुज्ञप्ति निर्गत किया गया है, अनुज्ञाधारी को अनुज्ञप्ति परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
20. लाइसेंसधारी द्वारा किसी भी दशा में बोटलों और पात्रों या उनके लेबलों, सुरक्षा कोड, पिल्फरपूरफ कैप (चोरी रोधक ढक्कनों) या मोहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा निषिद्ध है।
21. अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति परिसर में कोई भी दुग्ध, शर्करा (चाशनी), रंग, सुगंधि (अर्क), सुरक्षा कोड निर्मित करने वाला यंत्र, लेबल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपेय (हानिकारक) सामग्री नहीं रखेगा।
22. अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञापन की समाप्ति पर अतिरिक्त शेष स्टॉक के निस्तारण के लिए लाइसेंस प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे सदस्य, राजस्व पर्षद द्वारा अधिसूचित नियम 117 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।

23. अनुज्ञप्तिधारी मदिरा व्यवसाय से संबंधित किसी प्रकार का अप्रत्यक्ष सिंडिकेट का सदस्य नहीं होगा। अनुज्ञप्तिधारी मदिरा आपूर्ति से संबंधित किसी भी कम्पनी से किसी भी प्रकार का गिफ्ट/प्रलोभन/नगद/विदेश यात्रा/कूपन इत्यादि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार नहीं करेगा।
24. अनुज्ञप्तिधारी, स्टोर रूम के मध्य में एवं दीवारों के किनारे मुक्त आवागमन और स्टॉक सत्यापन को सुगम बनाने के लिए विदेशी मदिरा के पैकेज रहित सुगम गलियारा (पैसेज) छोड़ेगा।
25. इस अनुज्ञप्ति की शर्त या झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 के किसी नियम/उप नियम का अनुपालन करना अनुज्ञप्तिधारी के लिए बाध्य होगा। उक्त शर्त से विचलन की स्थिति में अनुज्ञप्ति प्राधिकार अनुज्ञप्ति को रद्द या निलंबित कर सकेंगे।

दिनांक

जिला

अनुज्ञप्ति प्राधिकार
आयुक्त उत्पाद

COUNTERPART-AGREEMENT

This deed is made on this Day of 2022 between the Governor of Jharkhand acting through the Excise Commissioner, Jharkhand (hereinafter called the Governor, which expression shall unless, inconsistent with the subject or context, include his successors in office) of the one part and (hereinafter called the licensee which expression shall, unless inconsistent with the subject or context, include his permitted assigns) of the other part.

Whereas the license of Foreign Liquor (spirit/malt) and Country Liquor supply and storage in form 1D has been granted on by the Excise Commissioner Jharkhand.

Now, therefore, this deed witnesses that-

- 1) The licensee shall abide by and carry out all his obligations under the terms and condition of the said license.
- 2) The licensee shall always maintain a security deposit of Rs. 2,00,00,000/- (Two Crore Rupees only) with the Excise Commissioner for the due fulfillment of the conditions of the license.
- 3) Any penalty imposed on the licensee under the Jharkhand Excise Act, 1915 or the rules made thereunder or instructions/orders issued by Excise Commissioner, Jharkhand or any other liability incurred by him under the Act, shall be recoverable by the Governor from his security deposit or any amount due to him or any movable revenue, without prejudice to any other legal remedy the State Government may seek for the purpose.

In witness thereof the parties hereto have signed this deed on the date and year respectively mentioned against their signatures.

Excise Commissioner, Jharkhand
On behalf of the Governor of Jharkhand
Date.....

Witness :

1.....
2.....

Licensee
Full name and address
Date.....
